उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 213 –पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2022–20 / 2009 टी0सी0– ।। दिनांकः 29 मार्च, 2022

ई–मेल

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व) / (पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व) /
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य) / (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम) /
(पारे0प0) / (पारे0म0) / (संचार एवं नियंत्रण) /
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी0एम0यू0टी0) /
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण–प्रथम / द्वितीय) /
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

महोदय,

श्री प्रभात सिंह, महासचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, अभियन्ता संघ एवं श्री जय प्रकाश, महासचिव, राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन, उ0प्र0 के द्वारा संयुक्त पत्र दिनांक 22.03.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 15.03.2022 से चल रहे सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं प्रबन्धन के साथ पूर्ण असहयोग के क्रम में आगामी 4, 5 एवं 6 अप्रैल, 2022 को सभी ऊर्जा निगमों के समस्त अभियन्ता व अवर अभियन्ता सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने हेतु बाध्य होंगे।

आप अवगत हैं कि विद्युत आपूर्ति का कार्य आवश्यक सेवा के अन्तर्गत आता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन की दृष्टि से भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 बोर्ड की परीक्षायें भी दिनांक 24.03.2022 से प्रारम्भ हो चुकी हैं। अतः समुचित निर्बाध विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु पारेषण प्रणाली के अनुरक्षण एवं परिचालन का कार्य अपेक्षित होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शासनादेश सं0 1523 / 24–पी–2–21–1(121) / 04 दिनांक 04.01.2022 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा–3 की उपधारा–1 के अन्तर्गत 6 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है और सामूहिक अवकाश पर जाने का आवाहन किया जाना आवश्यक सेवा अधिनियम के विरूद्ध आचरण एवं कार्य है।

अतएव, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दिनांक 4, 5 एवं 6 अप्रैल, 2022 में कार्मिक को किसी भी दशा में सामूहिक रूप से अवकाश स्वीकृत न किया जाये। स्वास्थ्य अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से किसी कार्मिक को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो केस टू केस के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पारेषण) के पूर्वानुमोदन पर अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं किसी कार्मिक द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन करने पर नियमानुसार कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।

(ए0के0 पुरवार) 29/3

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

क्रमशः–2

संख्या : 213-पारे0अनु0-04/पाट्राकालि/2022 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)